रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भागII—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.2524] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर10, 2014/अग्रहायण19, 1936
No.2524] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER10, 2014/AGRAHAYANA19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3124(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी के 0.000 कि.मी. से 143.000 कि.मी. (पोरबंदर से राजकोट से बामनबोर सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 05.12.2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 03.12.2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12.01.2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013 और सा.का.नि. 26 (अ),तारीख 16.01.2014 द्वारा संषोधन किए गए हैं।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 1313 (अ), तारीख 03.06.2010 द्वारा ओएमटी आधार पर, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी पर 1.960 कि.मी. से 117.600 कि.मी. (जिसमें 72.200 कि.मी. से 80.150 कि.मी. तक का बाइपास भी शामिल है) पोरबंदर–भिलाड़ी–जेतपुर सेक्षन तक के खण्ड के उपयोग हेतु, यांत्रिक वाहनों पर, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा करार में यथा–निर्दिष्ट समापन की तारीख तक जिसके द्वारा तारीख 18.07.2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1183 (अ) और तारीख 25.09.2008 की का.आ. संख्या 2268 (अ) का अधिक्रमण किया गया था, शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु रियायतग्राही मैसर्स गुजरात प्रतिभा जॉनसन ओएमटी–2 प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया था।

और यतः, प्राधिकरण द्वारा 26.10.2013 को ओएमटी रियायत करार को समाप्त कर दिए जाने के कारण, ओएमटी रियायत करार को पहले ही रोक दिया गया था। ओएमटी रियायत करार के समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रियायत करार/तारीख 03.06.2010 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण को जारी रखे हुए हैं। तथापि, इस शुल्क अधिसूचना के प्रकाषन भी तारीख से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता शुल्क संग्रहीत करेगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथातारीख 03.06.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1313 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई है, एतद्द्वारा गुजरात राज्य में रा.रा. 8बी पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 125.064 कि.मी. के लिए जिसमें 106.954 कि.मी की सड़क तथा 1841 मीटर की संरचनाएं (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) शामिल है,} चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर, तथा बाइपासों, जिनकी कुल लम्बाई 7.795 कि.मी. है, (155 मीटर की संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है और जिनमें से प्रत्येक बाइपास) की लागत दस करोड़ रुपए या उससे अधिक है, के लिए 1.040 कि.मी. से 117.600 कि.मी. तक (जिसमें 72.200 कि.मी. से 80.150 कि.मी. तक बाइपास भी शामिल है) आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थातः–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि. मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

(1) नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजाओं का अवस्थान चैनेज	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रा रा–8बी का 10.755 कि.मी., पोरबंदर जिले में वानाना गांव के पास	50.990 (नीचे पैरा–3 में इंगित संरचनाओं की 470.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
रा रा–8बी का 82.215 कि.मी., राजकोट जिले में धुमियानी गांव के पास	55.964 (नीचे पैरा–3 में इंगित संरचनाओं की 86.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर और उपलेटा बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब के निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
रा रा–8बी का 82.215 कि.मी., राजकोट जिले में धुमियानी गांव के पास	रा रा–8बी के 72.200 कि.मी., से प्रारम्भ करके उपलेटा बाइपास 80.150 कि.मी. पर मिलते हुए	7.795 (नीचे पैरा–3 में इंगित संरचनाओं की 155 मीटर लम्बाई को छोड़कर)

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है के उपयोग के लिए भी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई के परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

IndiaCode

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जानेवाली *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
रा रा–8बी का 10.755 कि.मी., पोरबंदर जिले में वानाना गांव के पास	0.47	4.70
रा रा–8बी का 82.215 कि.मी., राजकोट जिले में धुमियानी गांव के पास	1.341	13.41

* ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

रा रा–8बी के 10.755 कि.मी. पर वानाना टोल प्लाजा

क्रम सं.	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी तक	
1.	2.140	2.290	150.00
2.	30.232	30.418	186.00
3.	46.986	47.120	134.00
			470.00

रा रा–8बी के 82.215 कि.मी. पर धुमियानी टोल प्लाजा

क्रम सं.	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी तक	
1.	60.510	60.576	66.00
2.	66.965	67.130	165.00
3.	67.874	68.076	202.00
4.	78.600	78.755	155.00
5.	87.088	87.166	78.00
6.	88.080	88.220	140.00
7.	91.520	91.780	260.00
8.	114.720	114.995	275.00
			1341.00

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

IndiaCode

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

8. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से'–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

11. परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य [256.91 करोड़ रुपए (वानाना टोल प्लाजा की प्रभावी लम्बाई के लिए) + 418.43 करोड़ रुपए (धुमियानी टोल प्लाजा की प्रभावी लम्बाई के लिए) =] 675.34 करोड़ रुपए (छह सौ पचहत्तर करोड़ चौंतीस लाख रुपए मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा. सं.भाराराप्रा/13013/531/10–11/सीओ/जीसी–राजकोट (पोरबंदर–जेतपुर)]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3124(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 0.000 to km 143.000 (Porbandar to Rajkot to Bamanbore Section) of National Highway No. 8 B in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R. 778(E) dated 16.12.2013 and G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 1313(E) dated 03.06.2010 authorized the Concessionaire M/s Gujarat Pratibha Johnson OMT – 2 Private Limited, Mehsana, Gujarat for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from Porbandar – Bhiladi – Jetpur section from km 1.960 to km 117.600 (including the bypass from km 72.200 to km 80.150) on National Highway No. 8B in the State of Gujarat on OMT basis on and from the Date of Commercial Operation declared

by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement superseding the Notifications published vide S.O. No. 1183(E) dated 18.07.2007 and S.O. No. 2268(E) dated 25.09.2008.

And whereas, the OMT Concession Agreement was foreclosed on account of termination of OMT Concession Agreement by the Authority on 26.10.2013.Consequent upon termination of OMT Concession Agreement, NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Concession Agreement/Fee Notification dated 03.06.2010. However, w.e.f. date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 1313 (E) dated 03.06.2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 125.064 km [including 106.954 km road and 1841 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 18.11 km] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 7.795 km (excluding 155 m of structures having length more than 60 m) costing each Bypass Rupees Ten Crore or more of the stretch from km 1.040 to km 117.600 (including the bypass from km 72.200 to km 80.150) on National Highway No. 8B in the State of Gujarat on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 10.755 of NH-8B, near village Vanana in Porbandar District	50.990 (Excluding 470.00 m length of structures indicated in Para-3 below)
Km 82.215 of NH-8B, near village Dhumiyani in Rajkot District	55.964 (Excluding 1186.00 m length of structures indicated in Para-3 below and excluding length of Upleta Bypass)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	**Names of Bypass with Chainage**	**Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable**
Km 82.215 of NH-8B, near village Dhumiyani in Rajkot District	Upleta Bypass taking off at km. 72.200 and joining at km. 80.150 of NH-8B	7.795 (excluding 155 m length of structures indicated in Para-3 below)

IndiaCode

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
Km 10.755 of NH-8B, near village Vanana in Porbandar District	0.47	4.70
Km 82.215 of NH-8B, near village Dhumiyani in Rajkot District	1.341	13.41

* The details are as under:-

Vanana Toll Plaza at km 10.755 of NH-8B

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	2.140	2.290	150.00
2	30.232	30.418	186.00
3	46.986	47.120	134.00
			470.00

Dhumiyani Toll Plaza at km 82.215 of NH-8B

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	60.510	60.576	66.00
2	66.965	67.130	165.00
3	67.874	68.076	202.00
4	78.600	78.755	155.00
5	87.088	87.166	78.00
6	88.080	88.220	140.00
7	91.520	91.780	260.00
8	114.720	114.995	275.00
			1341.00

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

IndiaCode

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The present value of Capital Cost of the Project is [Rs. 256.91 Crore (for influence length of Vanana Toll Plaza) + Rs. 418.43 Crore (for influence length of Dhumiyani Toll Plaza) =] Rs. 675.34 Crore (Rupee Six Hundred Seventy Five crore and Thirty Four lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No.NHAI/13013/531/10-11/CO/GC-Rajkot (Porbandar-Jetpur)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

indiacode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.